

## भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद पिथौरागढ़ में चर्मा – जौरासी से बजानी मोटर मार्ग – 1.6542 है० सिविल वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/7840/2014)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु पिथौरागढ़ वन प्रभाग में 1.6542 है० सिविल वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में आरक्षित वन प्रभावित नहीं हो रहा है तथा अन्य वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त ने भी प्रस्ताव पर की गई संस्तुति के कम में बॉज, काफल, आदि चौड़ी पत्ती प्रजातियों का 0-20 से०मी० व्यास वर्ग के प्रभावित वृक्षों का यथासंभव प्रस्तावक विभाग के व्यय पर प्रत्यारोपण किए जाने के शर्त पर तथा आपदा प्रभावित जनपद होने के मद्देनजर जनहित में उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण विभाग, उत्तराखण्ड  
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 12/03/2015

स्थान: देहरादून